



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1804]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 28, 2017/आ"क" 7, 1939

No. 1804]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 28, 2017/ASADHA 7, 1939

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग )

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जून, 2017

का.आ. 2026(अ).—यतः दिल्ली के लिए मुख्य योजना में अधोउल्लिखित क्षेत्र के संबंध में केन्द्र सरकार का जिन कतिपय संशोधनों का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा-44 के प्रावधानों के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 06.12.2016 की का.आ. सं. 3647 (अ) के तहत सार्वजनिक सूचना के रूप में भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किए गए जिसमें उक्त नोटिस की तारीख से तीस दिन के अंदर उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा (3) द्वारा यथा अपेक्षित आपत्तियों/सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

2. यतः प्रस्तावित संशोधनों से संबंधित प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विचार किया गया; और
3. यतः केन्द्र सरकार ने इस मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद, दिल्ली मुख्य योजना- 2021 में संशोधन करने का निर्णय लिया है।
4. अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से उक्त दिल्ली मुख्य योजना- 2021 में निम्नलिखित संशोधन करती है।

**संशोधन:**

जोन डी में स्थित निम्नलिखित भू-क्षेत्र के भूमि उपयोग को निम्नलिखित विवरण के अनुसार परिवर्तित किया जाता है:-

क्र.सं.	अवस्थिति	क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	दि.मु.यो.- 2021 के अनुसार भूमि उपयोग	भूमि उपयोग निम्नलिखित में परिवर्तित किया जाना है	सीमाएं
1.	योजना जोन 'डी' में आने वाले सराय काले खां नई दिल्ली में प्रस्तावित दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डी.यू.एस.आई.बी) कार्यालय भवन	4771.12	'आवासीय'	सरकारी (सरकारी कार्यालय)	<b>उत्तर:</b> रिंग रोड से निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन तक जाने वाली लगभग 24.0 मीटर चौड़ी सड़क। <b>दक्षिण:</b> दक्षिणी दिल्ली नगर निगम से संबंधित समाज सदन का मौजूदा भवन। <b>पूर्व:</b> सराय काले खां स्थित डी.टी.सी. टर्मिनल में 9.0 मीटर चौड़ी सड़क। <b>पश्चिम:</b> डी.यू.एस.आई.बी. से संबंधित खली भूमि।

[फा. सं. के-13011/35/2016-डीडी-1]

अनिल कुमार, अवर सचिव

**MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT**

(DELHI DIVISION)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th June, 2017

**S.O. 2026 (E).**— Whereas, certain modification which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi regarding the area mentioned hereunder was published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice vide S.O. No. 3647(E) dated 06.12.2016 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

2. Whereas objections/suggestions received with regard to the proposed modifications have been considered by the Delhi Development Authority; and

3. Whereas, the Central Government have, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi-2021.

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan of Delhi-2021 with effect from the date of Publication of this Notification in the Gazette of India.

**MODIFICATION:**

The land use of the following area of land falling in Zone-D is changed as per description listed below:

S. No.	Location	Area (sqm)	Land Use as per MPD 2021	Land Use changed to	Boundaries
1.	Proposed Delhi Urban Shelter Improvement Board (DUSIB) Office at Sarai Kale Khan, New Delhi, falling in planning Zone-D	4771.12	Residential	Government (Government Office)	<b>North:</b> Approx. 24.0 m wide road leading to Nizamuddin Railway Station from Ring road <b>West:</b> Existing building of Community Hall belongs to SDMC. <b>East:</b> 9.0 m wide road at DTC Terminal, Sarai Kale Khan. <b>South:</b> Open land belongs to DUSIB

[F. No. K-13011/35/2016-DD-I]

ANIL KUMAR, Under Secy.